



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275782
CG-DL-E-27082026-275782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4505]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4505]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4690(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.137.285 (रत्कोनागिरी - कोल्हापूर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी क्र.६, कोल्हापूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.137.285 (रत्नागिरी-कोल्हापूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: कोल्हापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हातकणंगले					
गांव का नाम: टोप					
1	123 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
2	376 Part	निजी	कृषिक	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
3	390 Part	निजी	कृषिक	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
4	391 Part	निजी	कृषिक	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
गांव का नाम: नागांव					
5	10 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
6	848 Part	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: हेर्ले					
7	1871 Part	निजी	कृषिक	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
8	68 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
9	70 Part	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
10	74 Part	निजी	कृषिक	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
गांव का नाम: माले					
11	317 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: चोकाक					
12	20 Part	निजी	कृषिक	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
13	59 Part	निजी	कृषिक	0.2 (हेक्टेयर)	0.2

14	60 Part	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
15	77 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: वडगांव					
16	32 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
17	393 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
तालुक का नाम: करवीर					
गांव का नाम: पढवालवाडी					
18	191 Part	निजी	कृषिक	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
19	192 Part	निजी	कृषिक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
20	210 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
21	317/4 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
22	317/5 Part	निजी	कृषिक	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
23	358 Part	निजी	कृषिक	1.12 (हेक्टेयर)	1.12
24	358 Part Plot-1-1	निजी	कृषिक	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
25	82 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
26	84 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
27	85 Part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: केलें					
28	891 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
गांव का नाम: केरली					
29	338 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
गांव का नाम: भूयेवाडी					
30	117 Part	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
31	118 Part	निजी	कृषिक	0.037 (हेक्टेयर)	0.037
32	120 Part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
33	151 Part	निजी	कृषिक	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
गांव का नाम: शिये					
34	100/9 Part	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025

35	101 Part	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
36	102 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
37	102/3B Part	निजी	कृषिक	0.0756 (हेक्टेयर)	0.0756
38	103/3B Part	निजी	कृषिक	0.0722 (हेक्टेयर)	0.0722
39	105/2 Part	निजी	कृषिक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
40	196 Part	निजी	कृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
41	207 Part	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
42	237/1A/1B/5 Part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
43	305 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
44	81 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
45	82/1 Part	निजी	कृषिक	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
46	82/2 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
47	83/1 Part	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
48	83/2 Part	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
49	84 Part	निजी	कृषिक	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
50	87/2B Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
51	91/12 Part	निजी	कृषिक	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
52	92/26 Part	निजी	कृषिक	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
53	98/8A Part	निजी	कृषिक	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
54	98/8B Part	निजी	कृषिक	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
55	98/8C Part	निजी	कृषिक	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
56	98/8D Part	निजी	कृषिक	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
गांव का नाम: भुये					
57	1/1 to 1/11 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
58	127/14 Part	निजी	कृषिक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
59	58 Part	निजी	कृषिक	0.085 (हेक्टेयर)	0.085
60	69 Part	निजी	कृषिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
61	72/1B/2A Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05

62	72/2C Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
63	72/3 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
64	73/1 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
65	76 Part	निजी	कृषिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
Total					5.128

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4690(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-166 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 137.285 (Ratnagiri-Kolhapur section) in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector LAONo, 6 Kolhapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 137.285 (Ratnagiri - Kolhapur section) of NH-166 in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hatkanangle					
Village: Toap					
1	123 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03

2	376 Part	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
3	390 Part	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
4	391 Part	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
Village: Nagaon					
5	10 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
6	848 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Herle					
7	1871 Part	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
8	68 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
9	70 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
10	74 Part	Private	Agriculture	0.055 (Hectare)	0.055
Village: Male					
11	317 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Chokak					
12	20 Part	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
13	59 Part	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
14	60 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
15	77 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Wadgaon					
16	32 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
17	393 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
Taluk: Karveer					
Village: Padvalwadi					
18	191 Part	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
19	192 Part	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
20	210 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
21	317/4 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
22	317/5 Part	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
23	358 Part	Private	Agriculture	1.12 (Hectare)	1.12
24	358 Part Plot-1-1	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
25	82 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
26	84 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
27	85 Part	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Kerle					
28	891 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
Village: Kerli					
29	338 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
Village: Bhuyewadi					
30	117 Part	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
31	118 Part	Private	Agriculture	0.037 (Hectare)	0.037
32	120 Part	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01

33	151 Part	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
Village: Shiye					
34	100/9 Part	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
35	101 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
36	102 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
37	102/3B Part	Private	Agriculture	0.0756 (Hectare)	0.0756
38	103/3B Part	Private	Agriculture	0.0722 (Hectare)	0.0722
39	105/2 Part	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
40	196 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
41	207 Part	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
42	237/1A/1B/5 Part	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
43	305 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
44	81 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
45	82/1 Part	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
46	82/2 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
47	83/1 Part	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
48	83/2 Part	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
49	84 Part	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
50	87/2B Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
51	91/12 Part	Private	Agriculture	0.0099 (Hectare)	0.0099
52	92/26 Part	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
53	98/8A Part	Private	Agriculture	0.0172 (Hectare)	0.0172
54	98/8B Part	Private	Agriculture	0.0037 (Hectare)	0.0037
55	98/8C Part	Private	Agriculture	0.0037 (Hectare)	0.0037
56	98/8D Part	Private	Agriculture	0.0037 (Hectare)	0.0037
Village: Bhuye					
57	1/1 to 1/11 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
58	127/14 Part	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
59	58 Part	Private	Agriculture	0.085 (Hectare)	0.085
60	69 Part	Private	Agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
61	72/1B/2A Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
62	72/2C Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
63	72/3 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
64	73/1 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
65	76 Part	Private	Agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
Total					5.128

[F. No NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director